न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
21/2019	09/07/2019	02.02.2026

मथुरा पुत्र माधो जाति गूर्जर नि० खेड़ली बोरदा तह० पीपल्दा जिला कोटा

प्रार्थी

बनाम

1. रतना पुत्र माधो जाति गूर्जर
2. बजरंगा मृतक पुत्र माधो जर्ये कायम मुकामान
2/1. चौथमल पुत्र स्व0 श्री बजरंगा
2/2 साहबलाल पुत्र स्व0 श्री बजरंगा
2/3 सुगना पुत्री स्व. श्री बजरंगा जातियान गुर्जर निवासी खेड़ली बोरदा तहतील पीपल्दा जि० कोटा राज.
3. राज. सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा, जिला कोटा राज.

अप्रार्थीगण

प्रार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री प्रद्युम्न शर्मा एड0।
अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री मनोज शर्मा एड0।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट एवं अस्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने आवेदन किया कि ग्राम खेड़ली बोरदा पटवार सर्कल पीपल्दा खुर्द भू.अभि. नि. क्षेत्र विनायका तहसील पीपल्दा के राजस्व रिकार्ड में खातौनी सं. 186 की खसरा न. 266 की रकबा 1.14 हे0, खसरा न. 267 की रकबा 0.62 है0 किता 2 की कुल रकबा 1.76 है0, भूमि स्थित है उक्त वर्णित कृषि आराजी से प्रार्थी अन्य सह खातेदारान के साथ हिस्सा 1/3 पर काबिज काश्त है, उक्त वर्णित कृषि आराजी को वाद पत्र में आगे वादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित किया गया है। यह कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सगे भाई एवं भतीजे हैं जिसका वादग्रस्त कृषि आराजी में सामान अंश निहित है प्रार्थी अपने निहित हिस्से 1/3 पर आपसी सामंजस्य एवं वहमी बंटवारे के आधार पर कब्जे काश्त है, किन्तु अप्रार्थी क्रम 1 व 2 द्वारा लगातार दखल अन्दाजी करने से एवं भूमि को खातेदारी में दर्ज करवाने हेतु प्रार्थी को यह अधिकार प्राप्त है कि यह वादग्रस्त कृषि आराजी मे अपने हिस्से का बंटवारा प्राप्त करे तदर्थ यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय की सेवा से प्रस्तुत है। प्रार्थी को यह अधिकार प्राप्त है कि वह माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादग्रस्त कृषि आराजी से अपने जिले का पृथक बंटवारा करवाये एवं अप्रार्थीगण के अनावश्यक दखलंदाजी के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश मय डिक्री प्राप्त करे। तदर्थ यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय की सेवा मे प्रस्तुत है। प्रार्थी उक्त वादग्रस्त कृषि आराजी में अपने हिस्से का पृथक सीमाकिन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने एवं भूसुधार कार्य हेतु प्रयासरत है, किन्तु शेष सह खातेदार द्वारा कोई ध्यान नही देने एवं अपितु प्रार्थी के निहत हिस्से में लगातार मदाखलत करने से प्रार्थी को अपने निहित हिस्से के बंटवारा एवं शेष सह खातेदारान अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी का आदेश मय डिक्री प्राप्त करना आवश्यक हो गया है, तदर्थ यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय की सेवा में प्रस्तुत है। विगत दिनांक 15/6/2019 को अप्रार्थी क्रम 2 के वैध वारिसान द्वारा प्रार्थी के निहित हिस्से को जबरन हांकने की धमकी दिये जाते एवं वादग्रस्त कृषि आराजी में बटवारा करवाने से साफ इंकार कर देने से प्रार्थी को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु विवश होता पड़ा है। प्रार्थी द्वारा इस निमित अप्रार्थी क्रम 3 श्रीमान तहसीलदार महोदय से निवेदन करने पर उनके द्वारा समस्त सह खातेदारान की सहमति के अभाव में बंटवारा करने से साफ इंकार कर देने एवं इस निमित विगत दि. 15/6/2019 को वांछित अनुतोष प्राप्ति हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत करने हेतु

निर्देशित करने पर वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। प्राथी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र हेतु विगत दि० 15/6/2019 को अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के वैध वारिसान द्वारा बंटवारा करवाते से साफ इंकार कर देने एवं बाद ग्रस्त कृषि आराजी से प्रार्थी के निहित हिस्सों को जबरन हांकने की धमकी देने एवं अप्रार्थी क्रम 3 तहसीलदार महोदय पीपल्दा द्वारा दि. 15/4/2019 को वांछित अनुतोष प्राप्ति हेतु न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करने पर व प्रार्थना पत्र का वाद कारण लगातार उत्पन्न है। उपरोक्त उनवान का वाद माननीय न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है, जिससे दुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के ही पक्ष से है, एवं अपूर्णीय क्षति भी प्राथी को ही होनी है जिसकी पूर्ति न्यायहित से किया जाना संभव नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के पक्ष में एवं विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित आराजी से निहित हिस्से भूमि के कब्जे काश्त मे, अप्रार्थीगण किसी भी प्रकार से मदाखलत व मजामहमत न तो स्वंय को न ही उक्त भूमि को रहन, बेचान, एवं हस्तान्तरित करे, न ही उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड से किसी प्रकार का नामान्तरण दर्ज किया जावे, ऐसा कृत्न न तो स्वंय करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधियों से करावे।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र श्री प्रद्युम्न शर्मा एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थीगण की ओर से श्री मनोज शर्मा एड0 ने वकालतनामा पेश किया। जवाब में काफी अवसर दिए जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया गया।

बहस सुनी गई। दस्तावेजों का अवलोकन किया। मुताबिक राजस्व अभिलेख जमाबंदी संवत 2072 से 2075 तक खसरा न. 266 की रकबा 1.14 है0 खसरा न. 267 रकबा 0.62 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.76 है0 रतना, बजरंगा, मथुरा ,पुत्र माधो की गैर खातेदारी में दर्ज है गैर खातेदार दर्ज होने के कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है परंतु गैर खातेदार की भूमि के अंतरण के अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं वह इसे दान, बेचान, वसीयत इत्यादि नहीं कर सकता। ऐसे में अपूरणीय क्षति का कारित होना संभाव्य नहीं है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा